

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**सूचना**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पूर्व में प्रकाशित Draft Merit List में से सहायक अभियंता (असैनिक) के उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के दस गुणा कुल-286 (दो सौ छियासी) अभ्यर्थियों का काउन्सलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट phed.bih.nic.in के पोर्टल पर अपलोड है। उक्त अभ्यर्थियों का Counselling कार्यक्रम निम्नवत् है :-

दिन एवं तिथि	प्रथम पाली (10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (02:30 बजे अपराह्न से)
सोमवार 11.01.2021	सहायक अभियंता (असैनिक) सामान्य कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 60 तक के अभ्यर्थी	सहायक अभियंता (असैनिक) सामान्य कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-61 से 120 तक के अभ्यर्थी
मंगलवार 12.01.2021	सहायक अभियंता (असैनिक) सामान्य कोटि (महिला) के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 50 तक के अभ्यर्थी	सहायक अभियंता (असैनिक) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 20 तक के अभ्यर्थी एवं पिछड़ा वर्ग (BC) कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 30 तक के अभ्यर्थी
बुधवार 13.01.2021	सहायक अभियंता (असैनिक) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) महिला कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 6 तक के अभ्यर्थी एवं पिछड़े वर्गों की महिला (WBC) कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 20 तक के अभ्यर्थी	सहायक अभियंता (असैनिक) अनुसूचित जाति (SC) कोटि के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं सहायक अभियंता (असैनिक) दिव्यांग कोटि (BLVD) के प्रकाशित सूची के क्रमांक-1 से 10 तक के अभ्यर्थी

- उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा।
- उक्त प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- Counselling के क्रम में अभ्यर्थी को अपने GATE Score का Online/Offline Verification कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का GATE Score सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है तो तत्क्षण उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- Counselling हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त प्रमाण-पत्रों का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- संबंधित अभ्यर्थी अपना फोटो युक्त पहचान-पत्र साथ लायेंगे।
- संबंधित अभ्यर्थी Counselling हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में ससमय उपस्थित होंगे।

(प्रवीण कुमार गुप्ता)  
संयुक्त सचिव